

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ. 3 (ख) (1) अलेसे-11/

दिनांक :- 27 अगस्त 2012

आदेश संख्या 163/2012-13

निम्नांकित लेखाकारों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 4 में अंकित विभाग/ कार्यालय में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम लेखाकर्मी	वर्तमान विभाग/ कार्यालय का नाम	नवीन पदस्थापन विभाग/ कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	कैलाश चन्द शर्मा	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय निदेशालय कोष एवं लेखा जयपुर	जलग्रहण एवं भू संरक्षण, जिला परिषद, जयपुर	नवसृजित पद पर
2.	रमाकान्त शर्मा	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय कोषालय सवाई माधोपुर	जलग्रहण एवं भू संरक्षण, जिला परिषद, सवाई माधोपुर	नवसृजित पद पर
3.	राजेन्द्र प्रसाद	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय कोषालय भरतपुर	आर.यू.आई.डी.पी. भरतपुर	रिक्त पद पर
4.	तार सिंह	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय कोषालय श्रीगंगानगर	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चुनावड, (श्रीगंगानगर)	रिक्त पद पर
5.	फतेह सिंह	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय निदेशालय कोष एवं लेखा जयपुर	निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर	श्री कानूनगो के स्थान पर
6.	रामकुमार लाखलान	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय उपकोषालय राजगढ (चूरु)	पंचायत समिति, सरदार शहर (चूरु)	रिक्त पद पर
7.	अशोक कुमार कानूनगो	निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर	कोषालय (पेन्शन), जयपुर	रिक्त पद पर
8.	शिवनारायण गर्ग	राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर	आयुक्त पंचायतीराज विभाग (मुख्य मन्त्री ग्रामीण बीपीएल आवासीय योजना हेतु) जयपुर	रिक्त पद पर

उक्त आदेश वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प. 2 (1) वित्त/ राजस्व/ 2012 दिनांक 24.08.2012 के क्रम में लोक हित में जारी किये जाते हैं। उक्त आदेश जारी होने के पश्चात् आदेशों की प्रतीक्षा अवधि का कोई भुगतान देय नहीं होगा।

निदेशक

क्रमांक: एफ. 3 (ख) (1) अलेसे-11/ 9224-54

दिनांक :- 27 अगस्त 2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- उप शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 2 (1) वित्त/ राजस्व/ 2012 दिनांक 24.08.2012 के संदर्भ में प्रेषित है
- विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष.....को प्रेषित कर लेख है कि वे कृपया संबंधित लेखाकार को उक्त आदेश की अनुपालना में अविलम्ब कार्यमुक्त कर/कार्यग्रहण करा इस विभाग को सूचित करावे।
- विशोषाधिकारी (कम्प्यूटर अनुभाग) वेबसाईट पर अपलोड हेतु
- श्री लेखाकार विभाग/ कार्यालय.....को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे नवपदस्थापित स्थान पर अविलम्ब कार्यग्रहण कर सूचित करें। 15 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण सूचना प्राप्त नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।
- निजी सहायक निदेशक
- निजी पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1)